

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठौड़ (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 205 / 2025

दायर तारीख 04.12.2025

अनवान

1. ऊंकार पुत्र हीरा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

..... प्रार्थी

01. भंवरलाल पुत्र रूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. कमला देवी पत्नि गौरू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
03. केसी देवी पत्नि घासीलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
04. रायसिंह पुत्र नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
05. रूपलाल पुत्र हीरा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
06. मथरी पत्नि नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... विपक्षीगण

उपस्थित :- 01. श्री सुमित कुमार जोशी - अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे० एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 06/11/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित कुमार जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे० एक्ट के तहत विरुद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हैं कि प्रार्थी के एकल/संयुक्त खाते भूमि प्रार्थी की मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार क्षेत्र भोपतपुरा भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 14 आराजी नंबर 827/328 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भूमि खातेदार ऊंकार पुत्र हीरा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। अतः पथरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।



निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार हैं। पड़ौसियान के विवाद करने बावत शपथ पत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढी बाबत कमिशनर नियुक्त किया जाता हैं। कमीशनर फीस रु. 200/- रूपये तय की जाती हैं वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एकट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार क्षेत्र भोपतपुरा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 14 आराजी नंबर 827/328 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भुमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो

आदेश सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 205/2025

दायर तारीख 04.12.2025

तहसीलदार

बिजौलियां

6/1/26

विषय :- राजस्व प्रकरण संख्या 205/2025 में पत्थरगढी बाबत।

अनवान

1. ऊंकार पुत्र हीरा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

01. भंवरलाल पुत्र रूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कमला देवी पत्नि गौरू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. केसी देवी पत्नि घासीलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रायसिंह पुत्र नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. रूपलाल पुत्र हीरा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मथरी पत्नि नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख हैं कि मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार क्षेत्र भोपतपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 14 आराजी नंबर 827/328 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भुमि की बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौंसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट 07 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 205/2025

दायर तारीख 04.12.2025

तहसीलदार
बिजौलियां

दिनांक :- 6/11/25

विषय :- राजस्व प्रकरण संख्या 205/2025 में पत्थरगढी बाबत।

अनवान

1. ऊंकार पुत्र हीरा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

01. भंवरलाल पुत्र रूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कमला देवी पत्नि गौरू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. केसी देवी पत्नि घासीलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रायसिंह पुत्र नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. रूवलाल पुत्र हीरा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मथरी पत्नि नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख हैं कि मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार क्षेत्र भोपतपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 14 आराजी नंबर 827/328 रकबा 0.7689 हैक्टेयर भुमि की बशामलात पडोसियान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां